

कार्यालय, आयुक्त, चच्च शिक्षा, म0प्र0  
तृतीय तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक २५८४ / १३१२ / १३ / चिठ्ठी ०८ / १३८ / ०६

मोपाल, दिनांक—१९५०६

प्रति-

कलसधिव,

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,

इन्दौर (मोप्र०)

**विषय:- स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर में सिप्पा पटो के सजन की अनुसति।**

संदर्भ:- (1) म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ-8/17/03/सासा/  
38/151 दिनांक 16-2-2006

38 / 151 दिनांक 16-2-2006  
(2) कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का पत्र कमांक पीएआर / 06 / 277  
दिनांक 2-2-2006

(3) कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का अर्द्धशासकीय पत्र पूर्णांकन कमांक क्रमांक / 2006 / 308-सीसी दिनांक 24-1-2006.

(4) कलसचिव, देवी अहित्या विश्वविद्यालय, इंदौर का पत्र कमांक निल. दिनांक

4-3-2006. ०००—

— 800 —

राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 8/17/03/  
सी-सी/38/151 दिनांक 16-2-06 के द्वारा, देवी अहित्या विश्वविद्यालय, इंदौर के प्रस्ताव  
अनुसार वित्त विभाग द्वारा मान्य की मई एग्जिट पालिसी(Exit policy) के अंतर्गत,  
केन्द्रीय परिषद के मापदंडों के अनुसार स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के लिए सृजित किये जाने  
वाले शिक्षकीय (टीचिंग) पदों पर मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के  
तहत, राज्य शासन पर वर्तमान एवं भविष्य में कोई वित्तीय भार नहीं पड़ने की शर्त पर,  
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुमति जारी करने के निर्देश दिये हैं।

कुलसचिव, देवी अहित्या विश्वविद्यालय, इंदौर के हारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 245 शिक्षकीय पदों की स्वीकृति की मांग करते हुए यह घटन पत्र दिया गया है कि स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों पर वेतन भर्ते आदि समस्त प्रकार के उत्तरदायित्वों हेतु राज्य शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा। विश्वविद्यालय ने यह भी स्वीकार किया है कि स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों के वेतन आदि का व्यय भार स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत फीस के रूप में प्राप्त आय से बहन किया जावेगा।

**Section Officer  
Governor's Secretariat-  
Raj Bhavan, BHOPAL (M.P.)**

तथा शासन पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने यह भी मान्य किया है कि यदि किन्हीं कारणों से स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत रखे जाने वाले शिक्षकों को पृथक करना पड़ता है तो समस्त वैधानिक दायित्वों एवं न्यायालयीन प्रकरणों का पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। शासन इसमें कोई पक्षकार नहीं बनेगा। विश्वविद्यालय ने स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्न विभागों में 245 पद भरने की अनुमति मांगी है।

एजिट पालिसी(Exit policy) का शासन ने विभिन्न विभागों से परीक्षण करा लिया गया है; स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 245 (दो सौ पैतालीस) पदों की स्वीकृति एवं पद भरने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है:-

क्र०	विभाग का नाम	प्राप्त्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	योग
1	इंजीनियरिंग	11	21	64	96
2	आई.आई.पी.एस.	05	08	37	69
3	फार्मेसी	02	05	13	26
4	आई.एम.एस.	—	01	13	20
5	एम०बी०ए०(आई.बी.)	—	01	03	04
6	एम०बी०ए० (बी.इ.)	—	01	03	04
7	एम०पी०ए०	—	01	01	02
8	योग	—	—	01	01
9	एस०ओ० लॉ	01	01	03	05
10	एस०ओ० पत्रकारिता	01	01	03	05
11	एम०एस० सौ० इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन	01	01	01	03
12	एम०एस०सी०आई०टी०	—	01	03	04
13	एम०टेक० कम्प्यूटर	01	01	—	02
14	एम०बी०ए० सौ०एम०	—	01	03	04
	योग	33	64	148	245
	शर्तः—				

- उपरोक्त पदों की पूर्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियम/निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाये तथा इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कोटे का पूर्णतः पालन किया जाये।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित किये गये मापदंडों का पूर्णतः पालन किया जाये।
- जैसा कि विश्वविद्यालय ने स्वयं वचन पत्र दिया है कि उसे शासन से इन नियुक्तियों के लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की जल्दत नहीं है, विश्वविद्यालय को राज्य शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की ब्लाक ग्रांट या अन्य कोई अनुदान/आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।

Section Officer  
Govt. of India's Secretariat  
Raj Bhawan, Bhopal (M.P.)

4. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतन भत्ते आदि का वहन स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के तहत प्राप्त होने वाली आय/ या शुल्क से किया जायेगा ।
- 5.(अ) विश्वविद्यालय के प्रस्ताव अनुसार एण्डोमेंट फंड(Endowment fund) में प्रथमतः 10,00,00,000/- (दस करोड़) एक मुश्त फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा करेगा । इसके अतिरिक्त स्ववित्तीय पाठ्यक्रम से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली आय की न्यूनतम 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) राशि या स्थापना व्यय का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो विश्वविद्यालय के द्वारा एण्डोमेंट फंड(Endowment fund) के रूप में स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतन भत्तो के लिए सुरक्षित रखी जायेगी ।
- (ब) इण्डोमेंट फण्ड में जमा राशि को प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रीय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्डौर के साथ संयुक्त खाते में जमा करना होगी ताकि मुगलान पर ज्ञासन का नियंत्रण रहे ।
6. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों का संघर्ष विश्वविद्यालय के अन्य पदों/अनुदानित पदों के संघर्ष से बिल्कुल अलग होगा । दोनों में कोई परस्पर संबंध नहीं होगा एवं अनुदानित पदों पर कार्यरत शिक्षकों को स्ववित्तीय योजनाओं के अंतर्गत न तो पदस्थि किया जायेगा और न ही उनका समायोजन/ संविलियन / स्थानांतरण ही किया जायेगा ।
- 7.(अ) स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली/ की गई नियुक्तियों के संबंध में यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है तो उच्च शिक्षा विभाग एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । इसका दायित्व विश्वविद्यालय तथा संबंधित शिक्षक का होगा ।
- (ब) इन पदों से संबंधित किसी भी न्यायालयीन प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, आयुक्त उच्च शिक्षा या अधिनस्थ कार्यालय को प्रतिवादी नहीं बनाया जायेगा ।
8. यह नियुक्तियों तभी तक वैध मानी जावेंगी जब तक विभाग/संस्थान/ पाठ्यक्रम/विषय घलते रहेंगे । पाठ्यक्रम बंद होने पर नियुक्तियों स्वभैव समाप्त मानी जावेंगी ।
9. इस प्रकार की नियुक्तियों पर किसी प्रकार की पेंशन की पात्रता नहीं होगी । Raj Bhavan, BHOPAL (M.P.)
10. सी०पी०एफ०, जी०आई०एस० आदि किसी प्रकार की कटौती विश्वविद्यालय अपने स्तर पर स्ववित्तीय योजना में भर्ती होने वाले शिक्षकों के अंशदान पर तय करेगा ।

Section Officer  
Governor's Secretariat

22

11. उपरोक्त पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतः अस्थाई होंगी और किसी भी समय बिना किनोटिस के सनाप्त कर दी जाएंगी ।
  12. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया विधिवत ज्ञापन जारी कर निहित नियमों / प्रावधानों के अंतर्गत ही की जाये और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण नं. 3492/1996 हिमाचल प्रदेश सरकार विलद्ध सुरेश कुमार वर्मा में व्यक्त का धारणा का ध्यान रखा जाये । इसी सुन्दर्भ में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 5-3/2004/एक/03 ओपाल, दिन तारीख 12-4-2005( छायाप्रति संलग्न) का पालन भी सुनिश्चित किया जाये ।
  13. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों से नान ज्यूडिशियल स्टाफ पर इस आंशय की अंडर टेंकिंग ली जाएगी कि उन्हें उपरोक्त शर्त है । यदि उन्हें यह शर्त मान्य नहीं है तो वे कार्यभार ग्रहण नहीं करें ।
  14. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24(20) के प्रावधान यथावत रहेंगे ।
  15. चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता रखी जाये ।
  16. चयन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार में पारदर्शिता एवं प्रशासकीय नियंत्रण के लिए आवश्यक होगा कि साक्षात्कार बोर्ड में आयुक्त उच्च शिक्षा या उसके प्रतिनिधि द्वारा रखा जाये ।
  17. इन पदों की वार्षिक समीक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था की जाये ताकि आवश्यकता अनुसार ही पदों पर मर्ता की जाये ।

(एस०डी०) अग्रवाल । १९८२-८३  
आयुक्त,  
उच्च शिक्षा, म०प्र०

प्र० कमांक / 1312 / 13 / विवि० / 08 / 138 / 06 भोपाल, दिवांक-

**प्रतिलिपि :-**

- प्रातालाप** —

  1. राज्यपाल के निजी सचिव, राजभवन, मोपाल ।
  2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, मोपाल ।
  3. कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
व शिक्षा, मंप्र०

Section Officer  
Governor's Secretariat  
Raj Bhavan, Bhopal (M.P.)